क्रम-संख्या--580

रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0--4
लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0--41
(लाइसेन्सड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ मंगलवार, 19 जुलाई, 1988
आषाढ़ 28, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
श्रम अनुभाग-(6)

संख्या 172-वि/36-6--87-45(टी)-83
लखनऊ, 19 जुलाई, 1988

अधिसूचना

प0आ0--453

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 24 की उपधारा (1), (4) और (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके, राज्यपाल--

(क) उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षुता परिषद् की स्थापना करते है जिसे "उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद्" कहा जायगा,

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते है:-

1.	श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश	::	अध्यक्ष

2.	राज्य मंत्री, श्रम	::	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	::	सदस्य
4.	प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	::	"
5	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	::	"
6	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	::	"
7	सचिव, राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	::	"
8	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ	::	"
9	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ	::	"
10	श्री देव शर्मा, डी0 एम0 कालोनी रोड, नाले के सामने बुलन्दशहर	::	"
11	श्री सत्य देव शर्मा, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य, बुलन्दशहर	::	"
12	श्री सैय्यद मोहम्मद नसीर फाखरी, सजदा नसीन खनकहे-अजमाली, डेरा शाह अजमल, इलाहाबाद।	::	"
13	सम्भागीय निदेशक (शिक्षु), उत्तरी सम्भाग, कानपुर	::	"
14	निदेशक, शिक्षुता परिषद्, काकादेव, कानपुर	::	"
15	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर	::	"
16	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर	::	"
17	श्री हरदम यादव, प्रधान--सदस्य जिला परिषद्, ग्राम उलहेड़ा, जिला बुलन्दशहर	::	"
18.	श्री सुरेश तिवारी, बालकेश्वर कालोनी, आगरा	::	"
19.	श्री बलवन्त सिंह शर्मा, पूर्ववर्ती प्रधानाचार्य, मालवीय नगर, गुलावटी बुलन्दशहर	::	"
20.	महाप्रबन्धक, एच0ए0एल0, लखनऊ	::	"
21.	महानिदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश 242, जवाहर भवन, लखनऊ	::	"
22.	कुमारी अलमेलु अम्माल, सदस्य विधान सभा, बंगला संख्या 3, दारुलशफा, लखनऊ	::	"
23.	डा0 (श्रीमती) ए0 परबीन, 53, ताजीखाना, लखनऊ	::	"
24.	श्री नवीन तिवारी, युवा नेता, नैनीताल (कुमायूं)	::	"
25.	श्री हीरा सिंह विष्ट, सदस्य विधान सभा, देहरादून	::	"
26.	श्री अजीजुद्दीन, 1/208, प्रोफेसर कालोनी, सिविल लाइन्स, आगरा	::	"
27.	श्री अजय कुमार वर्मा, सुपुत्र श्री मुरारी लाल वर्मा, 31, भगवानपुरा, बुलन्दशहर	::	"
28.	श्री इदबात अहमद, प्रेसीडेन्ट, बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, 73 बक्शी बाजार, इलाहाबाद।	::	"
29.	श्री पी0 क0 शर्मा, वाइस प्रेसीडन्ट “इन्टक” 18, लाजपत राय मार्ग, लखनऊ	::	"

30. श्री आसिफउद्दीन सुपुत्र श्री फतेहउद्दीन, मकान सं0 223, मोहल्ला खेलघर, जिला फतेहपुर :: "

31. श्री चन्द्रपाल सिंह जाटव, महासचिव, मोहल्ला भूड, बुलन्दशहर :: "

32. राज्य शिक्षुता परामर्शदाता और निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ :: सदस्य एवं सचिव और।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद् क जिसे आगे परिषद् कहा गया है, सदस्यों और पदाधिकारियों की पदावधि, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और उनके बीच रिक्तियों के भरे जाने की नीति निम्न प्रकार है :--

क--पदावधि--

(1) परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(2) कोई सदस्य परिषद् का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उस समय तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय।

(3) परिषद् का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा यदि वह उस पद को धारण नहीं करता है जिसके अधार पर उसे परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया था।

(4) परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायगा यदि वह विकृत्त चित्त का हो जाय, दिवालिया घोषित कर दिया जाय या नैतिक अद्यमता वाले दाण्डिक अपराध के लिए दोष सिद्व ठहराया जाय।

(5) कोई सदस्य, सदस्य- सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को परिषद् से त्याग-पत्र प्रस्तुत करके परिषद् से अपना त्याग-पत्र दे सकता है और वह अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने के दिनांक से परिषद् का सदस्य नहीं रह जायेगा।

ख--रिक्तियों का भरा जाना--

(1) मृत्यु या ऊपर पैरा "क" में उल्लिखित किन्हीं अन्य कारणों से परिषद् की सदस्यता में कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य उस सदस्य का जिसका वह उत्तराधिकारी हो, अवशिष्ट अवधि के लिए परिषद् का सदस्य होगा।

ग--कृत्यों का निर्वहन--

बैठक (1) परिषद् उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो और वर्ष मे कम से कम एक बार ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर बैठक करेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय।

बैठक की सूचना (2) सदस्य- सचिव प्रत्येक सदस्य को परिषद् की बैठक करने के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना देगा

परन्तु परिषद् की कोई आपात बैठक करने के लिए अल्पकालीन सूचना दी जा सकती है।

गणपूर्ति (3) परिषद् की किसी बैठक के लिए परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।

मामले	(4)	परिषद् द्वारा विनिश्चय किये जाने वाले सभी मामलों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जायगा।
मतदान	(5)	मतदान के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य एक मत देगा। बराबर-बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है।
परिचालन द्वारा निर्णय	(6)	अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, परिषद् की बैठक बुलाने के बजाय व्यक्तिगत रूप से पत्रों के परिचालन द्वारा कार्य के किसी मद पर सदस्यों की राय प्राप्त करने के लिए सदस्य सचिव को प्राधिकृत कर सकता है और उस मद का विनिश्चय बहुमत की राय के अधार पर किया जायगा।
कार्यवाही	(7)	परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियां सदस्य-सचिव द्वारा तैयार की जायेंगी और परिषद् के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी, व्यावसायिक व्यापारों में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाहियों के उद्धरण सचिव राज्य प्राविधिक शिक्षा-परिषद् को प्रस्तुत किये जायेगें। राज्य प्राविधिक शिक्षा-परिषद् द्वारा उस पर व्यक्त किये गये विचारों या दिये गये सुझावों पर यदि कोई हों, परिषद् द्वारा विचार किया जायगा अन्य विषयों में परिषद् ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी जैसी अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।
सहयोजन	(8)	परिषद् किसी भी समय, किसी व्यक्ति को किसी मामले में सलाह देने या सहायता करने के लिए अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है।
स्थायी या विशेष समिति	(9)	परिषद् अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के लिए ऐसी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकती है जसी उसके द्वारा समीचीन समझी जाएं। स्थायी या विशेष समितियों की संरचना और कृत्यों का अवधारण परिषद् द्वारा किया जायगा।
उपाध्यक्ष	(10)	परिषद् का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं।

आज्ञा से,
डी0 के0 मित्तल,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 172V/XXXVI-6-87-45(T)/83 dated 19 July, 1988 :

No. 172-V/XXXVI-6-87-45(T)-83

Dated Lucknow, July 19, 1988

IN exercise of the powers under sub-sections (1), (4) and (5) of section 24 of the Apprentices Act, 1961 (Act no. 52 of 1961) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased :

(a) to establish the State Apprenticeship Council in Uttar Pradesh to be known as "The Uttar Pradesh State Apprenticeship Council";

(b) to appoint the following persons as the Chairman, Vice-Chairman and members thereof, namely :

1.	Shram Mantri, Uttar Pradesh	::	Chairman
2.	Rajya Mantri, Shram	::	Vice-Chairman
3.	Sachiv, Shram Vibhag, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow	::	Member
4.	Engineer-in-Cheif, Public Works Department, U.P.,Lucknow	::	"
5.	Engineer-in-Cheif, Irrigation Department, U.P., Lucknow	::	"
6.	Director, Printing and Stationery, U.P. Allahabad	::	"
7.	Secretary, State Electricity Board, U.P. Lucknow	::	"
8.	Chairman, Uttar Pradesh Jal Nigam, Lucknow	::	"
9.	Chairman, Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Lucknow	::	"
10.	Sri Deo Sharma D.M. Colony Road in front of Nullah, Bulandshahr	::	"
11.	Sri Satya Deo Sharma, Retired Principal, Bulandshahr	::	"
12.	Sri Syed Mohd. Nasir Fakheri, Sajjada Nashin Khankahe Ajmali Daira Shah Ajmal, Allahabad	::	"
13.	Regional Director(Apprentice) Northern Region, Kanpur	::	"
14.	Director, Board of Apprenticeship, Kakadev, Kanpur	::	"
15.	Director, Board of Technical Education, Kanpur	::	"
16.	Director of Industries, Uttar Pradesh, Kanpur	::	"
17.	Sri Hardam Yadav, Pradhan-Member, District Board, Village- Ulheda district Bulandshahr	::	"
18.	Sri Suresh Tewari, Balkeshwar Colony, Agra	::	"
19.	Sri Balvant Singh Sharma, Former Principal, Malviya Nagar, Gulavati, Bulandshahr	::	"
20.	General Manager, H.A.L., Lucknow	::	"
21.	Director General, Breau of Public Enterprises, U.P. 242, Jawahar Bhavan, Lucknow	::	"
22.	Km. Almelu Ammal, M.L.A., Banglow no. 3, Darul Shafa, Lucknow	::	"
23.	Dr. (Mrs.) A. Parveen, 53, Tazi Khana, Lucknow	::	"
24.	Sri Naveen Tewari, Youth Leader, Nainital (Kumayun)	::	"
25.	Sri Heera Singh Bisht, M.L.A.,Garhwal, (Garhwal)	::	"
26.	Sri Azizuddin, 1/208, Professor Colony, Civil Lines, Agra	::	"
27.	Sri Ajai Kumar Verma, s/o Sri Murari Lal Verma, 31-Bhagvanpura, Bulandshahr	::	"
28.	Sri Iqbal Ahmad, President Bidi Udyog Karmchari Union, 73, Bakshi Bazar, Allahabad.	::	"
29.	Sri P.K. Sharma, Vice-President, "Intak", 19, Lajpat Rai Marg, Lucknow.	::	"
30.	Sri Asif Uddin s/o Sri Fated Uddin, House no. 223, Mohalla Kheldar, district Fatehpur	::	"
31.	Sri Chandra Pal Singh Jatav, General Secretary, Mohalla-Bheerh, Bulandshahr	::	"
32.	State Apprenticeship Advisor and Director, Training and Employment, Uttar Pradesh, Lucknow	::	Member and Secretary

(c) to determine the term of office of the procedure to be followed in discharge of their fuction by, and the manner of filling Vacancies among, the members and office bearers of the Uttar Pradesh State Apprenticeship Council, hereinafter referred to as the council, as follows :

A-*Term of Office*

(1) The term of non-official members of the Council shall be three years,

(2) A member shall continue to be the member of the Council after the expiry of his term until his successor is appointed.

(3) A member of the Council shall cease to be such member if he ceases to hold the office by virtue of which he has been appointed as the member of the Council.

(4) A member of the Council shall cease to be the member if he becomes of unsound mind, is declared insolvent or is convicted of a criminal offence invoving moral turpituto.

(5) A member may resign from the Council by tendering his resignation to the Chairman through the Member Secretary and shall cease to be the member of the Council from the date of acceptance of the resignation by the Chairman.

B-*Filling of Vacancies*

(1) Any vacancies in the membership of the Council Caused by death or any other reasons mentioned in para 'A' above shall be filled by the State Government.

(2) A member appointed to fill a casual vacancy shall be the member of the Council for the residue of the term of the member whom he succeeds.

C-*Discharge of Functions*

Meeting	(1) The council, shall meet as often as may be necessary and at least once in a year, on such date, time and place as may be determined by the Chairman.
Notice of Meeting	(2) The Member-Secretary shall give a notice of not less than 15 days for holding a meeting of the Council to each member : Provided that a shorter-notice may be given for holding an emergent meeting of the Council.
Quorum	(3) One-third of the total member of the members of the Council shall constitute the quorum for any meeting of the Council.
Cases	(4) All cases to be decided by the Council shall be decided on the basis of majority of votes of the members present and voting.
Voting	(5) Each member shall cast one vote in respect of every case put up before the Council for voting. In the case of equality of votes the Chairman may exercise his casting vote.
Decision by circulation	(6) The Chirman may, in special circumstances instead of convening a meeting of the Council, authorise the Member-Secretary to obtain the opinion of the members on any item of business individually by circulation of papers and that item shall be decided on the basis of the opinion of the majority.
Proceedings	(7) The Proceeding of the meetings of the Council shall be prepared by the Member-Secretary and be supplied to every member of the Council, extracts of proceeding in respect of training in Vocational trades, shall be

furnished to the Secretary, State Council of Technical Education. Views exepressed on suggestions, if any, made thereon by the State Council of Technical Education shall be considered by the Council. In other matters the Council shall follow such procedure as may be determined by the Chairman.

Cooption — (8) The Council may at any time invite any person to attend its meeting to give advice or assist in any matter.

Standing or Special Committees — (9) The Council may appoint such Standing or Special Committees to assist it in the discharge of its functions as may be considered expedient by it. The composition and functions of the Standing or Special Committees shall be determined by the Council.

Vice-Chairman — (10) The Vice-Chairman of the Council shall perform the duties of the Chairman during his absence on account of illness or any other reasons and shall perform such other duties as may be assigned to him by the Chairman.

By order,
D.K. MITTAL,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0पी0 521 राजपत्र (हि0)-- (1044)--1988--1830+25 (मेक0)।